457/13

(3)

नम्बर रसीद संख्या

(यह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. पेश करने वाले या आवेदन देने वाले का नाम ....
2. लेख्य-पत्र की किस्म ....
3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई : ....
4. प्रतिफल की रकम ....

	रुपये	पैसे
क. फीस रजिस्ट्री :		
(1) साधारण फीस रजिस्ट्री	6810	
(2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस	—	
(3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस	300	
ख. धारा 57 के अनुसार प्रतियों के या उनसे लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस	32530	
ग. विविध फीस :		
(1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस		
(2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस		
(3) धारा 25 व 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस	3510	
(4) कमीशन तथा घर जाने की फीस तथा भत्ता		
(5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस		
(6) संरक्षण फीस		
(7) मोहरबंद लिफाफे (जिसमें वसीयत-पत्र रखा हो) का अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस		
(8) पुस्तक का निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस		
(9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसकी रद्दी पत्रावलियों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)		
	43030	

फीस के प्राप्त होने की तारीख 12/9/13

लेख्य या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और लौटाये जाने पाने की तारीख 12/9/13

रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

उप पंजीयक गीगुन्डा

जिला- उदयपुर (राज.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

2 9 MAR 2016

राजस्थान RAJASTHAN

जिला उदयपुर

AD 109357

यह स्टाम्प भूमि रूपान्तरण पत्र संख्या 06/2013-14 की

फोटो कॉपी के साथ संलग्न है।

उप पंजीयक भीण्डर
जिला–उदयपुर (राज.)

रसीद सं. 459286/16 दिनांक 27/5/16
द्वारा निम्न राशि जमा की गई।

पंजीयन शुल्क	
प्रतिलिपि शुल्क	220/-
इन्डोर्समेन्ट शुल्क	
कमीशन शुल्क	
अन्य	
कमी मुद्रांक	
योग	220/-

उप पंजीयक भीण्डर

कार्यालय नगर पालिका मण्डल भीण्डर (राज.)

राजस्थान नगरीय क्षेत्र(कृषि भूमि का गैर -अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख (पट्टा संख्या 6/2013-14)

यह विलेख आज वर्ष 2013 के माह अगस्त के 19.8.13 के दिन नगर पालिका मण्डल भीण्डर एवं श्री मेवाड़ शारिरिक शिक्षा समिति हिंता (भीण्डर) अध्यक्ष श्री गणपतसिंह [illegible] जाति ब्राह्मण व्यवसाय धन्धा निवासी [illegible] तह. भीण्डर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहाँ कहीं प्रसंग वैसा अर्थ निकले,उनके उत्तराधिकारी,निर्वाहक,प्रबंधक, प्रतिनिधी और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है ।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक(पट्टाधारक) के द्वारा अदा की गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे,के एवज में नगर निकाय इसके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड(जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है ।) प्रदान और लीज करती है जो योजना फोजवड़ली राजस्व ग्राम फोजवड़ली के खसरा संख्या 263-264 262/2, 262 क्षेत्रफल 9-11 (38378.71 व.फीट) (4263.64 व.गज, 3564.83 व. मीटर) में स्थित है और जो अपनी सीमा और जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग दिखाया गया है और जिसे पुर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों,प्रतिबंधों,बंधनों,शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग,उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा ।

अर्थात :-

1. लीजधारक नगरनिकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें ,प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 6,80,254=00
   कृषि से अकृषि व्यावसायिक शुल्क 4263.64 व.गज X40 = 170546=00
   10% [illegible] शुल्क = 17055=00
   लीजराशी 4263.64X60 = 6,82,182 का 2.5% =17055X8 = 1,36,440=00
   प्रारूप विकास शुल्क 3564.83 व. मीटर X100 = 3,56,483=00
   कुल 6,80,524=00
   मात्र पेशगी अदा करेगा,परन्तु लीजधारक,यदि चाहे तो एक बारिय नगरीय निर्धारण(शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा ,जो उस वर्ष जिसमें राशि जमा कराई जाती है,को सम्मिलित करते हुए, पुर्ण वार्षिक नगरिय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरिय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरिय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
2. एक बार नियत किया गया नगरिय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति,अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी ।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे ।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल शै./व्यावसायिक प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है के लिए किया जायेगा ओर इी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा ।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम -26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें लीज धारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन । निर्माण कराया जावेगा ।
6. लीजधरक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप पट्टे पर दे सकेगा । उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपलब्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित अन्तरिती या उप-पटटेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भुखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरिम किया गया है । लीजधारक द्वारा उप पटटे की कालावधि से अधिक नहीं होगी । उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पथक आदेशों द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये गये,शासित होंगे ।
7. उक्त भूखण्डों अन्तरण के मामले में अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे । प्रत्येक अन्तरणके लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी परन्तु लीजधारक की मत्यु के मामले में इस नियम के अधिन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी (नोट :- [illegible] 401 ([illegible] 201) [illegible]

छायाप्रति प्रमाणित

उप पंजीयक, भीण्डर

द्वारा [illegible] भीण्डर

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रिमियम या नगरिय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक/बाह्य विकार प्रभा॰ कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसुलीय होगा।

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपुर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेषन द्वारा अभिप्राप्त किया है या आवंटन या पटटा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय में उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रकारो से रहित नगर निकाय में निहित समझे जाएंगेऔर नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारिता किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

10 इस पटटा विलेख के आधार पर उक्त भुखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/ सरकार ऋणदायी संस्था /एच .डी. एफ.सी अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम........भीण्डर........पुर्व........स्वयं की भूमि........पश्चिम........
........भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो........
राजस्व ग्राम........सीमा उत्तर........आम रास्ता........दक्षिण........स्वयं की भूमि
........मानचित्र संलग्न है।
योजना का नाम........
विस्तृत नाप सहित क्षैत्रफल वर्ग. गज/ 4263 · 64 व॰ गज
मीटर 3564 · 83 व॰ मीटर

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखें पर अपने हस्ताक्षर कर दिये।

नगरीय निकाय की ओर से
आज सन 2013 के माह अगस्त के 19·8·13 वे दीन

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, भीण्डर
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

श्री........
........में निम्न की उपस्थिति
में स्थान में हस्ताक्षर किये

साक्षी:-

1 नाम........
पुत्र........
व्यवसाय........
निवास स्थान........भीण्डर

....
साक्षी

2 नाम........
पुत्र........
व्यवसाय........
निवास स्थान........

....
साक्षी

आज 19.8.13 सन् 20........के माह अगस्त के 19.8.13 वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिती में उक्त
श्री........
....

लीजधारक द्वितीय पक्ष

1 नाम........
पुत्र........
व्यवसाय........
निवास स्थान........

....
साक्षी

2 नाम........
पुत्र........
व्यवसाय........
निवास स्थान........भीण्डर

....
साक्षी

उप पंजीयक भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

अध्यक्ष
नगर पालिका भीण्डर

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका भीण्डर

छायाप्रति प्रमाणित
उप पंजीयक, भीण्डर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

21 DEC 2012

राजस्थान RAJASTHAN A 971960

(2)

नोट – यह स्टाम्प अग्रांकित नगरपालिका भीण्डर के आवासीय/शैक्षणिक भूमि रूपान्तरण पट्टा संख्या 06/2013–14 दि. 19–08–2013 के साथ वास्ते पंजीयन मुद्रांक कर के लिए संलग्न हैं।
कुल संलग्न मुद्रांक कीता 3 राशि 1500/– रू.।

<u>निष्पादक –</u> अधिशाषी अधिकारी,
नगरपालिका भीण्डर,
जिला उदयपुर (राज.)

<u>गृहिता – पट्टेदार –</u> मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति, हींता, भीण्डर अध्यक्ष श्री गणपतलाल मेनारिया पिता एकलिंग जी मेनारिया, ब्राह्मण, उम्र 55 वर्ष, निवासी बांसडा, तहसील वल्लभनगर, जिला–उदयपुर (राज.)

ह. गृहिता–पट्टेदार

ह. निष्पादक

छायाप्रति प्रमाणित

उप पंजीयक, भीण्डर

1191 ... 500/-

मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति भींडर

अध्यक्ष श्री गणपतलाल पि० एकलिंग जी

मेनारिया .. 55 ... (भीण्डर) बांसडा

हं. क्र. पट्टा विलेख

25/08/2013

प्रकाश चन्द्र जैन

ला. न. 77/99

स्टाम्प विक्रेता, भीण्डर

(उप पंजीयक भीण्डर, 2013, उदयपुर (राज.) — stamp)

आज दिनांक 12/9/13 को ... बजे से ... बजे के मध्य श्री अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका भीण्डर की ओर से श्री अशोक कुमार सोनी ... उप पंजीयक ... कार्यालय में ...

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप पंजीयक, भीण्डर

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, भींडर

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र की मालियत रुपया 680524/- मानते हुए देय कमी मुद्रांक 32530+3410 पंजीयन शुल्क रुपया 6810+300/- ... 43050/- जरिये रसीद 457/13 दिनांक 12/9/13 से जमा ... रुपये 34030/- मुद्रांक पर ... जाता है।

उप पंजीयक, भीण्डर, जि.–उदयपुर (राज.)

रसीद सं. 457/13 दिनांक 12/9/13 द्वारा निम्न राशि जमा की गई।

पंजीयन शुल्क	6810/-
प्रतिलिपि शुल्क	300/-
इन्डेक्समेन्ट	
कमीशन	
अन्य स्टा.	3410/-
कमी मुद्रांक	32530/-
योग	43050/-

उप पंजीयक, भीण्डर

छायाप्रति प्रमाणित

उप पंजीयक, भीण्डर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

21 DEC 2012

राजस्थान RAJASTHAN

A 971961

(3)

नोट – यह स्टाम्प अग्रांकित नगरपालिका भीण्डर के आवासीय/शैक्षणिक भूमि रूपान्तरण पट्टा संख्या 06/2013–14 दि. 19–08–2013 के साथ वास्ते पंजीयन मुद्रांक कर के लिए संलग्न हैं।

कुल संलग्न मुद्रांक कीता 3 राशि 1500/– रू. ।

साक्षी– हस्ताक्षर साक्षी

1– श्री ललित छीपा पिता मोहन लालजी
जाति छीपा उम्र 43
पेशा नौकरी निवासी कानोड़

2– श्री सत्यनारायण मीणा पिता शिवनारायण जी
जाति मीणा उम्र 38
पेशा अध्यापक निवासी भीण्डर

ह. गृहिता–पट्टेदार

ह. निष्पादक

उप पंजीयक भीण्डर
जि. उदयपुर (राज.)

छायाप्रति प्रमाणित
उप पंजीयक, भीण्डर

उप पंजीयक भीण्डर
2013-14
जिला-उदयपुर (राज.)

1192 5007

मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति द्वारा भीण्डर
अध्यक्ष श्री गणपत लाल पिता एकलिंग जी
मेनारिया 55 (भीण्डर) खेरोदा
स्टा. पट्टा विलेख
25/08/2013

प्रकाश चन्द्र जैन
77/99
स्टाम्प विक्रेता, भीण्डर

पट्टाग्रहण कर्ता :-
मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति द्वारा भीण्डर
अध्यक्ष श्री गणपत लाल पिता एकलिंग
मेनारिया निवासी खेरोदा

निष्पादक कर्ता श्री अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका भीण्डर
श्री अशोक कुमार सोनी
पट्टादाता
द्वारा इस ...
... निष्पा...
अक्षरे ...
करना स्वी...
दस्तावेज ... जाता है।

उप पंजीयक, भीण्डर

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका, भीण्डर

उप पंजीयक भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

छायाप्रति प्रमाणित
उप पंजीयक, भीण्डर

उप पंजीयक भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

छायाप्रति प्रमाणित
उप पंजीयक, भीण्डर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

2 9 MAR 2016

AD 109359

यह स्टाम्प विक्रयपत्र तादादी 2,50,000/- दिनांक 14/11/2005 की फोटो कॉपी के साथ सलग्न है।

उप पंजीयक भीण्डर
जिला–उदयपुर (राज.)

रसीद नं. 459288/16 दिनाक 27/5/16
द्वारा निम्न राशि जमा की गई।

पंजीयन शुल्क	
प्रतिलिपि शुल्क	220/-
इन्डोर्समेन्ट शुल्क	
कमीशन शुल्क	
अन्य	
कमी मुद्रांक	
योग	220/-

उप पंजीयक भीण्डर

436/05

10 (3) 25627

नम्बर रसीद संख्या..................

(यह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम श्री फतहलाल(मांगीलाल) o ऊंकार
2. लेख्य-पत्र की किस्म विक्रय पत्र (जामा ग्राम्य नि० मीदर
3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई
4. प्रतिफल की रकम 250880/-

	रुपये	पैसे
क. फीस रजिस्ट्री :		
(1) साधारण फीस रजिस्ट्री	2580-00	
(2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस	200=00	
(3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस		
ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्ट लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस		
ग. विविध फीस :		
(1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणीकरण फीस		
(2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस		
(3) धारा 25 से 34 के अनुसार देर से लेख्य पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस		
(4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता		
(5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस		
(6) संरक्षण फीस		
(7) मोहरबन्द लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो) अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस		
(8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस		
(9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)		
योग फीस	2780=00	

फीस के प्राप्त होने की तारीख 14/11/2005

लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के हस्ताक्षर और लौटाये जाने या पाने की तारीख

उप पंजीयक अधिकारी
रजिस्ट्री करने वाले अफसर के हस्ताक्षर
जिला-उदयपुर (राज.)

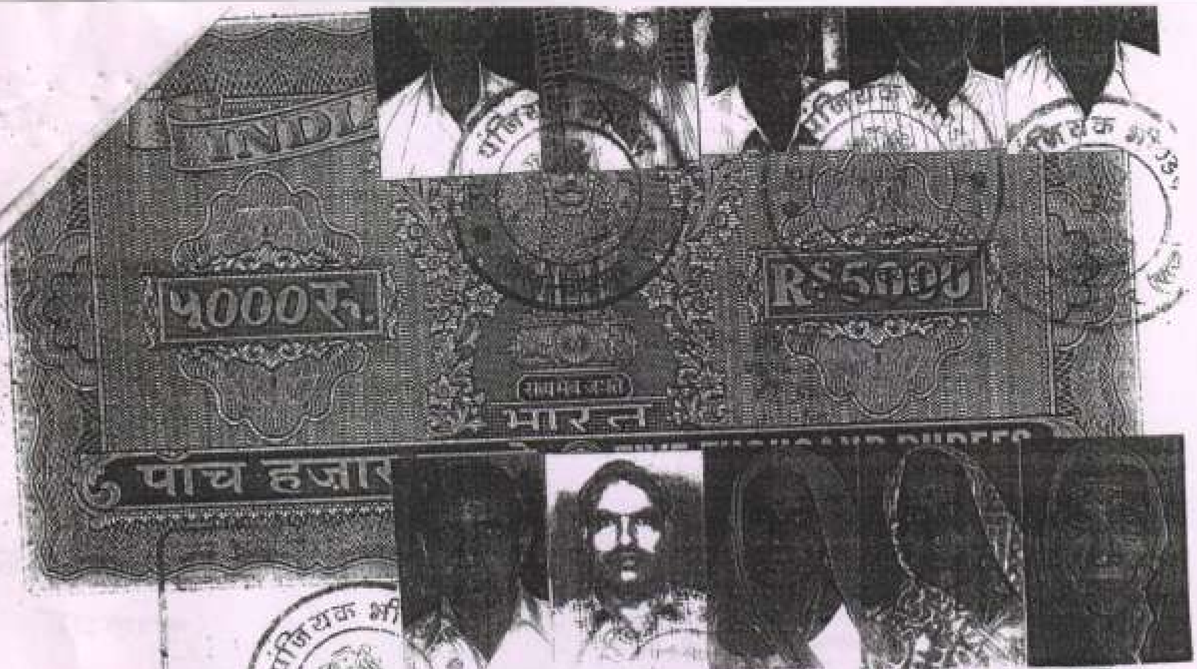

विक्रय पत्र तादादी 2,50,000/- रु0 दो लाख पचास हजार रुपया मात्र

स्टाम्प राजकीय वेल्यूवेशन से तादादी 20,000/- बीस हजार रुपये मात्र

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 13-11-2005 ई0 को निम्न पक्षकारान विक्रेता प्रथम पक्षकार द्वारा केता द्वितीय पक्षकार के पक्ष में निम्न प्रकार से सम्पादित किया जाता हैं :-

विक्रेताः-

1-श्री शोभालाल, भगवतीलाल, हीरालाल पिता शंकरलाल जी, उम्र कमशः 77, 70, 68 वर्ष, पेशा कमशः काश्त, सेवापुजा, पेंशनर,

2-श्री मोतीलाल,रंगलाल, फतहलाल, तुलसीराम, गोदावरीबाई, पार्वतीबाई पिता उंकारलालजी, प्रतावबाई बेवा उंकारलाल, उम्र कमशः 58, 55, 50, 42, 75, 45 82 वर्ष , पेशा कमशः काश्त, व्यापार, नौकरी, व्यापार, व घरधन्धा जाति सभी -ब्रामण (मंदावल), निवासी-भीण्डर, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर (राज0),

----प्रथम पक्षकार

केताः-

श्री मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति, हीन्ता-भीण्डर,
अध्यक्ष- श्री गणपतलाल जी पिता श्री एकलिंग जी जाति मेनारिया ब्रामण उम्र-47 वर्ष, पेशा-व्यापार एवं कृषि, निवासी- बासड़ा, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर (राज0)

----द्वितीय पक्षकार

कमशः----2पर

उप पंजीयक, भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

छायाप्रति प्रमाणित
उप पंजीयक, भीण्डर

शंकरलाल खटीक ला. .../11
730

तादाद रु.- 100

श्री- अध्यक्ष मेवाड शारीरिक शिक्षा समिति जरिए
श्री गजाधर ... डा. ...

जाति---- ...

निवास--- आयड़ा ... वल्लभनगर जिला उदयपुर
दि० 26-5-2016

8.62

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

1:यह कि ग्राम फौजबड़ली, पटवार मण्डल–चारगदिया, उप तहसील–भीण्डर, तहसील–वल्लभनगर, जिला–उदयपुर (राज.)में स्थित खाता संख्या 21 की आराजी नम्बर 255 रकबा 1 बीगा 9 विश्वा किस्म ह0सेकण्ड 1 बीगा 5 विश्वा उसर 4 विश्वा, लगानी 0.81, आ0नं0 256–260–262–265–266–268–269–271–272–273) रकबा 5 बीगा 3 विश्वा किस्म बी0सेकण्ड, लगानी 1–94 रू0, आ0नं0 257 रकबा 4 विश्वा किस्म खडा, आ0नं0 258 रकबा 6 विश्वा किस्म ह0सेकण्ड, लगानी 0–25 रू0, आ0नं0 259 रकबा 13 विश्वा, किस्म ह0 सेकण्ड, लगानी 0–50 रू0, आ0नं0 261 रकबा 18 विस्वा किस्म ह0 सेकण्ड, लगानी 0–69 रू0, आ0नं0 263–264) रकबा 15 विश्वा किस्म ह0फर्स्ट 5 विश्वा, ह0सेकण्ड 10 विश्वा, लगानी 0–62, आ0नं0 267 रकबा 1 बीगा 1 विश्वा किस्म खा0सेकण्ड 2–13, आ0नं0 270 रकबा 14 विश्वा किस्म ह0सेकण्ड, लगानी 0–50 रू0, कुल कीता 9 रकबा 11 बीगा 3 विश्वा, लगानी 7–44 रू0,का हम विक्रेता प्रथम पक्षकार संख्या –1 का 1/6 हिस्सा व प्रथम पक्षकार संख्या 2 मेंमोतीलाल का 1/48 हि0,रंगलाल का 1/48 हि0,फतहलाल का 1/48 तुलसीराम का 1/48 गोदावरीबाई का 1/48 हि0, पार्वतीबाई का 1/48 हि0, प्रतापबाई का 1/48 हि0, की कृषि भूमि हम विक्रेता प्रथम पक्षकार के खातेदारी व मालिकाना हक व मिल्कियत की होकर हम विक्रेता प्रथम पक्षकार को हर प्रकार से हस्तान्तरित करने का पूर्ण अधिकार हैं । नकल खसरा जमाबन्दी साथ संलग्न हैं । पड़ोस राजस्व रिकार्ड में अंकित हैं एवं वर्तमान मे पड़ोस–पूर्व में श्री शालीगराम का हिस्सा, पश्चिम–अब्बास ... दशोरवाल की भूमि,, उतर–आवागमन का रस्ता, दक्षिण– आप क्रेता की भूमि स्थित हैं ।

उप पंजीयक, भीण्डर
जिला–उदयपुर (राज.)

छायाप्रति प्रमाणित
उप पंजीयक, भीण्डर

5,000/- रु. क्रमांक 914

श्री फतहलाल पिता श्री ऊंकारलाल जी
जाति शाकद्वीपी ब्राह्मण निवासी भीण्डर
उम्र 50 वर्ष हस्ते श्री स्वयं
निवासी .... को वास्ते विक्रय पत्र
.... को दिया गया। दिनांक 13-11-05

हस्ताक्षर मुद्रांक विक्रेता

हस्ताक्षर अभिदाता

गौरव भादावत
स्टाम्प वेण्डर, ला नं. 11/05
भीण्डर, जि. उदयपुर (राज.)
फोन नं. 220281 (R)

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख्य पत्र के लिए अपेक्षित 20,000 रु. के मूल्य का एक मुद्रांक नहीं है। अतः .... मैंने निकटतम निम्नतम मूल्य के एक अथवा अधिक अभिलाषी मुद्रांकों के प्रयोग द्वारा निम्नतम पूर्ति की है।

दिनांक 13-11-05 हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर

4 / 5,000/- रु = 4 / 20,000/- रु

कुलिया

10:30 A.M.

पेश कि 14/11/05
श्री फतहलाल
पिता ऊंकारलाल जाति ब्राह्मण पेशा नौकरी
निवासी भीण्डर
पंजीयन हेतु पेश किया

उप पंजीयक, भीण्डर
जिला उदयपुर (राज.)

क्रेता – श्री गणपत लाल पिता एकलीग मेनारीया उम्र 57 वर्ष पेशा व्यापार एवं कृषि नि० अध्यक्ष, मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति, भीण्डर

छायाप्रति प्रमाणित
उप पंजीयक, भीण्डर

पंजीयन शुल्क	2600/-
1.	200/-
2.	nil
3.	nil
4.	nil
5.	nil
6. योग	2700/- रु
7.	सलाईस सोकडमा
8.	4536/05
10. दिनांक	14/11/05

उप पंजीयक, भीण्डर
जिला उदयपुर (राज.)

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पांच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

-3-

यह कि हम विकेता प्रथम पक्षकार को जायज जरूरीयात में रूपयों की आवश्यकता होने से हम विकेता प्रथम पक्षकार की ग्राम फौजबडली, प0म0 चारगदिया, तहसील– वल्लभनगर जिला–उदयपुर (राज) में स्थित शामलाती खाता संख्या 21 की आराजी कीता 9 रकबा 11 बीगा 3 विश्वा लगानी 7–44रू0, सम्पूर्ण आराजीयात में से हम विकेता प्रथम पक्षकार संख्या –1 का 1/6 हिस्सा व प्रथम पक्षकार संख्या 2 में मोतीलाल का 1/48 हि0,रंगलाल का 1/48 हि0,फतहलाल का 1/48 तुलसीराम का 1/48 गोदावरीबाई का 1/48 हि0, पार्वतीबाई का 1/48 हि0, प्रतावबाई का 1/96 हि0 की कृषि भूमि रकबा 67.35 विश्वा भूमि को जिसका पडोस पूर्व :– भाई श्री सालीगराम जी का हिस्सा, पश्चिम:– बोहरा जी अब्बासअली दशोर वाला की भूमि, उत्तर:– आम रास्ता, दक्षिण:– आप केता की भूमि । उक्त पड़ोस बीच की भूमि बिल एवज रूपया 2,50,000/– रू0 अक्षरें दो लाख पचास हजार रूपया के प्रतिफल में आप केता द्वितीय पक्षकार को मय कुआ वृक्ष, डाली–पाली, मेर–कोर, बाड़–कटवाड़, निकास–पेसार, हक–काश्त खातेदारी राईट सुदा कुलिया हक हकूकों के विकय कर वास्तविक रूप से कब्जा आप केता द्वितीय पक्षकार को सिपुर्द कर दिया हैं सो आप केता द्वितीय पक्षकार उक्त भूमि का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग– उपभोग करें, भविष्य में हर प्रकार से अन्य को हस्तान्तरित करें अन्तरित करें, स्वामित्व सम्बन्धित समस्त मालिकाना हक व अधिकार आज से आप केता द्वितीय पक्षकार को प्राप्त हो गयें हैं. अब उक्त वर्णित विकित आराजी पर हम विकेता प्रथम पक्षकार का कोई हक कतई शेष नहीं रहा । अब हम विकेता का किसी प्रकार का

कमश:---3पर

छायाप्रति प्रमाणित

उप पंजीयक, भीण्डर

5,000/- रु. स्टा. क्र. 915

श्री कन्हैयालाल पिता श्री ओंकारलालजी

जाति ब्राह्मण निवासी भीण्डर

उम्र 50 वर्ष हस्ते स्वयं

निवासी .... को उसके विक्रय पत्र

को बेचा गया। दिनांक 13-11-05

हस्ताक्षर खरीददार

हस्ताक्षर मुद्रांक विक्रेता

गौरव मादावत
स्टाम्प वेण्डर, ला नं. 11/05
भीण्डर, जि. उदयपुर (राज.)
फोन नं. 220281 (R)

निष्पादनकर्ता – (1) श्री शोभालाल (2) श्री भगवतीलाल, (3) श्री हीरालाल पि. शंकर लाल ब्राह्मण उम्र क्रमश: 77, 70, 68 वर्ष पेशा काश्त नि. भीण्डर
(4) श्री मोतीलाल (5) रंगलाल (6) फतहलाल (7) तुलसीराम (8) मोदाबी बाई (9) पार्वती बाई पिता ओंकार लाल (10) प्रताप बाई बेवा ओंकार लाल ब्राह्मण उम्र क्रमश: 58, 55, 50, 52, 75, 45, 82 वर्ष पेशा क्रमश: काश्त, व्यापार, नौकरी, व्यापार, ...

निवासी भीण्डर

विक्रय पत्र ... 50,000/-

बाजार कीमत ... 2,30,000/-

... 2,50,000/-

उप पंजीयक, भीण्डर
जिला–उदयपुर (राज.)

(1) शोभालाल ... (2) ... (3) भगवतीलाल ... (4) मोतीलाल (5) ... (6) ... (7) तुलसीराम (8) नि. मोदाबी बाई (9) नि. पार्वती बाई (10) नि. प्रताप बाई

उप पंजीयक, भीण्डर
जिला–उदयपुर (राज.)

छायाप्रति प्रमाणित
उप पंजीयक, भीण्डर

उप पंजीयक भीण्डर (राज.)

:7: यह कि हम विकेता प्रथम पक्षकार की किसी त्रुटी या स्वत्व की कमी के कारण उक्त वर्णित विकित भूमि या उसका कोई अंश आप केता द्वितीय पक्षकार के कब्जें से निकल जावें तो जरें विकय राशि मय हरजा खरचा लागत हर्जानें आदि की अदायगी का जिम्मा हम विकेता प्रथम पक्षकार का रहेगा और आप केता द्वितीय पक्षकार हमसे व हमारी दिगर अन्य हर किस्मी जायदाद से विधिवत वसूल कर सकेगें ।

:8: यह कि इस विकय पत्र के मुद्रांक एवं पंजीयन आदि का समस्त व्यय आप केता द्वितीय पक्षकार ने वहन किया हैं ।

अतः यह विकय पत्र हम विकेता प्रथम पक्षकार ने अपने पूर्ण प्रसन्नचित एवं स्थिर बुद्धि से बिना किसी भय या दबाव के प्रसन्नतापूर्वक अपनी स्वेच्छा से राजकीय मुद्रांक संख्या 914 से 917 तादादी कमशः 5,000/– जुमला कीता 4 व संलग्न सप्लीमेन्ट्री पेपर कीता तीन पर कुल कीता 7 तादादी 20,000/–रू0, बीस हजार रूपया पर हस्ताक्षर कर सम्पादित करा दिया हैं, सवंत् 2062 कार्तिक शुक्ला 12 वार रविवार तदनुसार दिनांक 13–11–2005 ई0 को अंकित करा निम्न साक्षीगणों के समक्ष भीण्डर में बैठा पढ़कर, सुनकर, समझकर अपने हस्ताक्षर कर सम्पादित कर देतें हैं कि सहीं सनन्द रहें वक्त जरूरत काम आवें ।

दिनांकः–13–11–2005 ई0,

स्थानः– भीण्डर (राज.)

हस्ताक्षर सम्पादनकर्ता
(विकेता प्रथम पक्षकार)

नि. भगवतीलाल

उप पंजीयक, भीण्डर
जिला–उदयपुर (राज.)

छायाप्रति प्रमाणित
उप पंजीयक, भीण्डर

5000/-रु.

रु. स्टाम्प नं. 316

श्री फतहलाल पिता श्री उदयलालजी

जाति ब्राह्मण निवासी भीण्डर

उम्र 20 वर्ष हस्ते दी स्वयं

निवासी — को वास्ते विक्रय पत्र

के लिये गया। दिनांक 13-11-05

हस्ताक्षर खरीददार

हस्ताक्षर मुद्रांक विक्रेता

गौरव भादावत

स्टाम्प वेण्डर, ला नं. 11/05

भीण्डर, जि. उदयपुर (राज.)

फोन नं. 220281 (R)

निष्पादनकर्ता की पहचान निम्न गवाह द्वारा की गई

(1) श्री रामचन्द्र पिता श्री सोहन लाल

जाति मीणा उम्र 52 वर्ष धन्धा काश्त

निवासी भीण्डर

(2) श्री रामनाथ पिता श्री शिवनारायण

जाति ब्राह्मण उम्र 33 वर्ष धन्धा नौकरी

निवासी भीण्डर

उप पंजीयक, भीण्डर

जिला-उदयपुर (राज.)

उप पंजीयक भीण्डर (राज.) जिला-उदयपुर

(1)

(2)

निष्पादन कर्ता एवं पहचान कर्ता के अंगूठे चिन्ह नियमानुसार लिए गये।

उप पंजीयक

भीण्डर

छायाप्रति प्रमाणित

उप पंजीयक, भीण्डर

5,000/- रु. स्टाम्प नं. 917

श्री फतहलाल पिता श्री उंकारलालजी

जाति ब्राह्मण निवासी भीण्डर

उम्र 52 वर्ष हस्ते श्री स्वयं

निवासी ... प्रयोजन विक्रय पत्र

... दिनांक 13-11-05

हस्ताक्षर खरीददार

Kalsrs

हस्ताक्षर मुद्रांक विक्रेता

गौरव भादावत
स्टाम्प वेण्डर, ला नं. 11/05
भीण्डर, जि. उदयपुर (राज.)
फोन नं. 220281 (R)

उप पंजीयक भीण्डर (राज.) जिला उदयपुर

छायाप्रति प्रमाणित
उप पंजीयक, भीण्डर

उप पंजीयक भिण्ड (म.प्र.)
जिला-

साक्षीः–

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता साक्षीगण इस विकय पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर साक्ष्य करतें हैं कि उक्त विकय पत्र विकेता प्रथम पक्षकार ने हमारें सम्मुख पढकर, सुनकर समझकर अपने लिखानें माफिक सही सत्य तथा विकय पत्र में वर्णित राशि प्राप्त कर अपने हस्ताक्षर कर सम्पादित क्रिया । उपरोक्त विकेता प्रथम पक्षकार को हम पहचानतें हैं ।

1– नाम– रामचन्द्र

पिता का नाम– सोहनलाल जी

जाति– चौबीसा निवासी– भीण्डर

तहसील–वल्लभनगर, जिला–उदयपुर (राज.)

2–नाम–

पिता का नाम– शिवनारायण जी

जाति– ब्राम्हण निवासी– भीण्डर

तहसील–वल्लभनगर, जिला–उदयपुर (राज.)

हस्ताक्षर सम्पादनकर्ता

(विकेता प्रथम पक्षकार)

कमशः—6पर

उप पंजीयक, भीण्डर

जिला-उदयपुर (राज.)

छायाप्रति प्रमाणित

उप पंजीयक, भीण्डर

उप पंजियक

-7-

विकित भूमि सम्बन्धित विवरण निम्न हैं :-

1- कि विकित आराजीयात के खसरा नम्बर, क्षैत्रफल, लगान उपर अंकित हैं ।
2- कि विकित भूमि का क्षैत्रफल 67.35 विश्वा हैं ।
3- कि विकित भूमि असिंचित हैं । पिलाई का कोई साधन नही हैं । भूमि पड.त होकर वर्तमान में एक साखी हैं । भूमि की किस्म में खड्डा बताया गया है किन्तु मौके पर समतल कर दिया गया हैं ।
4- कि विकित भूमि ग्राम फौजबडली के पूर्व तरफ आबादी से 1/2 किमी की पर स्थित हैं
5- कि विकित भूमि के आस-पास कोई औद्योगिक वाणिज्यिक, आवासीय ईकाइया आदि नहीं हैं ।
6- कि भावों में कोई उतार चढ़ाव नहीं हैं ।
7- कि विकय राशि बाजार मुल्य से कम नही हैं ।

दिनांक:-13-11-2005 ई0 .

(विकेता प्रथम पक्षकार)
हस्ताक्षर सम्पादनकर्ता

उप पंजीयक, भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

कार्ड आनन्द जैन
ला.न. 5/05 क्रमांक 20
दिनांक 13-11-05

छायाप्रति प्रमाणित
उप पंजीयक, भीण्डर

उप पंजियक ऋषभदेव (राज.) जिला-उदयपुर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

2 9 MAR 2016

राजस्थान RAJASTHAN

AD 109358

यह स्टाम्प विक्रयपत्र राशि 8500/- दिनांक 17/8/1996

की फोटो कॉपी के साथ संलग्न है।

उप पंजीयक भीण्डर
जिला—उदयपुर (राज.)

रसीद सं. 459287/16 दिनाक 27/5/16

द्वारा निम्न राशि जमा की गई।

पंजीयन शुल्क ....

प्रतिलिपि शुल्क 220/-

इन्डोर्समेन्ट शुल्क ....

कमीशन शुल्क ....

अन्य ....

कमी मुद्रांक ....

योग 220/-

उप पंजीयक भीण्डर

(2)

क्रमांक 256/96 (52)

(पूर्ण प्रति) [illegible]

[illegible] रजिस्ट्री [illegible]

1. किस व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों [illegible] ... [illegible] S/o अर्जुन सिंह

2. विलेख-पत्र की किस्म राजपूत [illegible] जि० [illegible]

3. स्टाम्प फीस की रकम वि० पत्र 8500=

4. प्रतिफल की रकम 9500= मूल्यांकन 31200=

क. फीस रजिस्ट्री :

(1) साधारण फीस रजिस्ट्री — 500-

(2) विलेख-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करना [illegible]

(3) धारा 64 से 67 के अनुसार [illegible] — 9-

ख. धारा 67 के [illegible] अधिकारी के पृष्ठांकन [illegible] देने की फीस

ग. विविध फीस : — 2-

(1) [illegible] विशेष [illegible]

(2) धारा 62 के अनुसार [illegible] की फीस

(3) धारा 28 व 34 के अनुसार [illegible] होने अथवा [illegible] के कारण चुकाई हुई फीस

(4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस [illegible]

(5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर [illegible]

(6) संरक्षण फीस कमी मुद्रांक — 2270-

(7) मोहरबंद लिफाफे (वसीयत) [illegible] रखने, वापिस लेने अथवा [illegible]

(8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा [illegible]

(9) अन्य विभिन्न प्रकार की [illegible] किसी [illegible]

रु० दो हजार सात सौ इक्यासी मात्र — जोड़ फीस — 2781-

फीस के प्राप्त होने की तारीख 17-8-96

विलेख-पत्र प्रतिलिपि [illegible] लौटाये जाने की तारीख 17-8-96

[signature]

रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

75 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

७५० रु. — Rs 750

भारत

सात सौ पचास रुपये — SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

1 3 JAN 1996

विक्रय पत्र तादादी 8500/- आठ हजार पांच सौ रुपया
स्टाम्प तादादी 850/- आठ सौ पचास रुपया मात्र ।

=-=

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 17-08-1996 ईस्वी को निम्न पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार से निष्पादित किया जाता है :-

विक्रेता : श्री तख्तसिंह पिता अर्जुनसिंह जी राजपूत शक्तावत उम्र 56 वर्ष पेशा काश्त निवासी फौजाखेड़ी तहसील वल्लभनगर जिला-उदयपुर (राजस्थान)

--- प्रथम पक्षकार

क्रेता : अध्यक्ष श्री गणपतलाल जी पिता एकलिंग जी मेनारिया, मेवाड़ शारीरिक शिक्षा समिति हींता भीण्डर (राज0) पंजीयन संख्या 7/89 दिनांक 12-4-89

--- द्वितीय पक्षकार

(1) यह कि खास मौजा फौजाखेड़ी पटवार मण्डल चारगदिया, भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र भीण्डर तहसील वल्लभनगर जिला-उदयपुर (राज0) मे स्थित खाता सं0 57 में आराजी खसरा नम्बर 351/2 रकबा 11 बीघा 3 विस्वा किस्म पीवा-6बीघा3विस्वा, पीवा-5बीघा लगानी 5.31 रुपया का हिस्सा 1/2 की कृषि भूमि मुझ विक्रेता प्रथम पक्षकार के निजी खातेदारी हक की होकर मेरे ही स्वामित्व व अधिपत्य में है और मैं ही एक मात्र मालिक एवं अधिपत्यधारी हूं। इसको हर प्रकार से हस्तान्तरित करने का मुझ विक्रेता प्रथम पक्षकार को पूर्ण अधिकार है । तख्तसिंह

छायाप्रति प्रमाणित
उप पंजीयक, भीण्डर

:2पर---

उप पंजियक भीण्डर
जिला

आज दिनांक 18 माह 11 वर्ष 2005
को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 97
के पृष्ठ संख्या 374 पर क्रमांक संख्या 186
पर पंजीबद्ध किया गया, तथा अति. पु. सं. 1
जिल्द संख्या 123 के पृष्ठ 374 पर चस्पा
किया गया।

उप पंजीयक, भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

छायाप्रति प्रमाणित
उप पंजीयक, भीण्डर

क्र. 849 ... 9525 ...

दिनांक 16/8/96

ह० स्टाम्प विक्रेता

849 ... 2 ...

दिनांक 16/8/96

आज दि. 17 माह 8 सन् 96 समय 11 Am

बजे से 11-15 A ... मध्य ... सरदार सिंह

पिता अर्जुन सिंह ... राजपूत उम्र 56 वर्ष

पेशा ... नि० फोजावडली

उपस्थित होकर

हेतु दस्तावेज प्र...

ह० प्रस्तुत कर्ता

ह० उपपंजीयक

1. रजिस्ट्रेशन फीस 500/-
2. प्रतिलिपि शुल्क 9/-
3. ...
4. ... 2/-
5. स्टाम्प ड्यूटी 2276/-
6. ...
7. योग 2781/-
8. ...
9. ...
10. दिनांक

इन्द्राज 256/96

17-8-96

उप पंजीयक, भीण्डर

जिला उदयपुर (राज.)

सत्यप्रति प्रमाणित

उप पंजीयक, भीण्डर

60 Rs.

साठ रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

SIXTY RUPEES

60RS

§2§ यह कि उक्त आराजी मुझ विक्रेता ने आज से पूर्व दिगर किसी व्यक्ति को रहन, बेह, क्षीस आदि नहीं की हुई है ।

§3§ यह कि उक्त आराजी सभी भारों एवं अधिभारों से मुक्त है । इस पर र.ज्य सरकार, किसी बैंक अथवा संस्था का या अन्य किसी व्यक्ति का कोई ऋण एवं भार नहीं है । हर प्रकार के ऋण एवं भार से मुक्त है ।

§4§ यह कि मुझ विक्रेता प्रथम पक्षकार को जायज जरूरियात में रूपयों की आवश्यकता होने से आप क्रेता द्वितीय पक्षकार से रूपया 8,500/- अक्षरे आठ हजार पांच सौ रूपया अंके 8,500/- आठ हजार पांच सौ रूपयां प्राप्त किये । इन रूपयों के बील एवज उक्त कलम नम्बर एक में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 351/2 रकबा ।। बीघा 3 बिस्वा या0 5•31हे0 का मुझ विक्रेता का हिस्सा 1/2 में से रकबा सादा उन्नीस बिस्वा भूमि आप क्रेता द्वितीय पक्षकार को मय रूख-कूआ, डाली-पाली, मेर-कोर, निकास-पैसार, बाड-कटबाड खडम सहित कुलिया हक हकूक के विक्रय कर वास्तविक रूप से कब्जा आपको सिपुर्द कर दिया है सो आप क्रेता द्वितीय-पक्षकार उक्त विक्रित आराजी रकबा सादा उन्नीस बिस्वा का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग उपभोग करें । भविष्य में हर प्रकार से अन्य को हस्तान्तरित करें । स्वामित्व सम्बन्धित जो हक व अधिकार मुझ विक्रेता प्रथम पक्षकार को प्राप्त है वह सभी हक व अधिकार आज से आप क्रेता द्वितीय पक्षकार को प्राप्त हो गये है । अब उक्त विक्रित आराजी पर मेरा कोई स्वामित्व हक व हित कतई शेष नहीं रहा है ।

रामस्वरूप सिंह

क्रमशः 3पर ---

विक्रय राशि मय हरजा खर्चा मुझ विक्रेता प्रथम पक्षकार का वसूल कर सकेंगे ।

छायाप्रति प्रमाणित

उप पंजीयक, भिण्डर

दि० 6/... माह 9 ... 1969 ... आठ बजे

पिता ... अर्जुनसिंह ... राजपूत ... निवासी ... (...)

26 ... वर्ष ... स्वीं ...

विक्रयपत्र

96/8/69

उप पंजीयक

सज्जनसिंह

... नवलसिंह

पिता अर्जुनसिंह ... राजपूत ... बासिंदे

... 56 ... निवास ... सौलवटान ...

... वि० पत्र ... 8500 ...

... 8500 = मूल्य ...

... भार ... नारायणजी ... सोमाणी ...

... पूर्ण ...

उप पंजीयक

सज्जनसिंह

छायाप्रति प्रमाणित

उप पंजीयक, भीण्डर

40Rs

चालीस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

४०रु. FORTY RUPEES 40RS

§3§

§5§ यह कि उक्त विक्रय बाबत मुझ विक्रेता प्रथम पक्षकार के रिश्तेदार, कुटुम्बी, उत्तराधिकारी का या अन्य किसी व्यक्ति का कोई उज्र या एतराज नहीं है । उक्त वर्णित आराजी पर किसी प्रकार का कोई वाद किसी न्यायालय में नहीं चल रहा है । अगर कोई भी किसी भी प्रकार का उज्र या एतराज करेगा तो उसके निपटारे की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुझ विक्रेता प्रथम पक्षकार की रहेगी ।

§6§ यह कि उक्त विक्रित आराजी रकबा सादा उन्नीस विस्वा की कृषि भूमि का खाता राजस्व रेकार्ड में आप क्रेता द्वितीय पक्षकार अपने नाम पर परिवर्तन करा लेवें, लगान हिस्से अनुसार आप क्रेता जमा करावें । उक्त विक्रित भूमि आप क्रेता के नाम पर दर्ज कराने में अगर मेरी आवश्यकता होगी तो मैं विक्रेता प्रथम पक्षकार स्वयं उपस्थित हो आप क्रेता द्वितीय पक्षकार को पूर्ण सहयोग करूंगा ।

§7§ यह कि विक्रय राशि 8,500/- आठ हजार पांच सौ रुपया मुझ विक्रेता प्रथम पक्षकार ने आप क्रेता द्वितीय पक्षकार से नकद प्राप्त कर लिये हैं, अब कोई राशि लेना शेष नहीं है । जिसकी प्राप्तगी की अभिस्वीकृति वक्त रजिस्ट्री कर दूंगा ।

§8§ यह कि स्टाम्प मुझ विक्रेता प्रथम पक्षकार के नाम पर खरीदे गये है, किन्तु स्टाम्प, रजिस्ट्री फीस आदि का कुलिया व्यय आप क्रेता के जिम्मे [illegible] आपने वहन किया है ।

§9§ यह कि मुझ विक्रेता प्रथम पक्षकार की किसी त्रुटि या स्वत्व की कमी के कारण उक्त वर्णित विक्रित आराजी या उसका कोई अंश आप क्रेता द्वितीय पक्षकार के कब्जे से निकल जावे तो जो विक्रय राशि मय हरजा खरचा मुकदमा लागत आदि की अदायगी का जिम्मा मुझ विक्रेता प्रथम पक्षकार का रहेगा व आप क्रेता द्वितीय पक्षकार विधिवत वसूल कर सकेंगे ।

छायाप्रति प्रमाणित

उप पंजीयक, भीण्डर

लिखा गया।
९६/०७/६८

ह० लेखवाय ह० विक्रेता

नामान्तरण दर्ज

मक्खन सिंह
किशोर सिंह सजातीय
४५ वर्ष
नौकरी ललित कुमार
छीपा
पिता श्री मोहनलाल
२७ वर्ष
नौकरी

दस्तावेज 17 पृष्ठ 3

हस्ताक्षर अंगुष्ठ विक्रेता

हस्ताक्षर अंगुष्ठ पहिचान कर्ता

निशान मक्खन सिंह की

निशान कांवर सिंह की

निशान ललित कुमार की

सम्पादन कर्ता एवं पहचान कर्ता के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिए गये।

उप पंजीयक
भीण्डर

छायाप्रति प्रमाणित
उप पंजीयक, भीण्डर

अत: यह विक्रय पत्र मुझ विक्रेता प्रथम पक्षकार ने राजकीय मुद्रांक कीता 3 तादादी 850/- रुपया व सप्लीमेन्टरी पेपर कीता दो जुमला कीता पांच पर अपनी राजी खुशी स्वेच्छा से पूर्ण स्वस्थचित्त एवं स्थिर बुद्धि से बिना किसी भय या दबाव के निम्न साक्षीगणों के समक्ष भीण्डर में बैठा लिखा टंकण करा दिया सो सही सनद रहे, वक्त जरुरत काम आवें । संवत 2053 का मिती श्रावण सुदी 3 शनिवार तदनुसार दिनांक 17 अगस्त सन् 1996 ई0 का0 किस्तुरचन्द जैन ला0नं03 सन् 86 ई0 विक्रेता श्री तख्तसिंह जी पिता अर्जुनसिंह जी राजपूत शक्तावत निवासी फाजिबड़ली तह0वल्लभनगर§राज0§ वाला का केवासुं लिख टंकण किया । पढ़कर सुनाया व समझाया तो स्वयं का लिखाना माफिक होना व रुपया 8500/- आठ हजार पांच सौ रुपया प्राप्त कर लेना स्वीकार किया ।

का0 किस्तुरचन्द(स्वहस्ताक्षर)

दिनांक : 17-08-1996 ई0

स्थान : भीण्डर§राज0§

तख्तसिंह

हस्ताक्षर सम्पादनकर्ता
विक्रेता , प्रथमपक्षकार

साक्षी : एक श्री नरपत सिंह, लक्ष्मण सिंह राजपूत शक्तावत पिता तख्त सिंह जी नि० फाजबड़ली की पिताजी तख्त सिंह जी का केवासु बेची इस विक्रय से हम सहमत है रुपया 8500 आठ हजार पांच सौ रुपया हमारी सामलात से लिये।
नरपतसिंह लक्ष्मणसिंह

साक्षी : सारव। मिट्ठूलाल नागौरी पिता श्री अर्जुनलाल जी नागौरी। निवासी भीण्डर की सौ तख्त। सिंह जी पिता श्री अर्जुनसिंह जी शक्तावत निवासी फाजबड़ली वाला को रुकाए दीदी। रुपये 8500 आठ हजार पांच सौ रुपया मेरे सामने दिए मिट्ठूलाल नागौरी

तख्तसिंह

दिनांक : 17-08-1996 ई0

हस्ताक्षर सम्पादनकर्ता
विक्रेता, प्रथम पक्षकार

छायाप्रति प्रमाणित
उप पंजीयक, भीण्डर

उक्त विक्रय पत्र के वेल्यूऐशन के तथ्य निम्न प्रकार है :-
=-=

(1) कि विक्रित आराजी का रकबा साढ़ा उन्नीस बिस्वा है ।

(2) कि भूमि असिंचित है । पिलाई का कोई साधन नहीं है ।

(3) कि भूमि मौजा फाजिलवल्ली में पूर्व की तरफ आबादी से 1/2 कि0मी0 की दूरी पर व सड़क से । कि0मी0 की दूरी करीब पर स्थित हो अविकसित क्षेत्र में है ।

(4) कि आसपास कोई औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाईयां आदि नहीं है ।

(5) कि भावों में उतार चढ़ाव नहीं है । विक्रय राशि बाजार मूल्य से कम नहीं है ।

दिनांक : 17-08-1996 ई0

स्थान : भीण्डर (राज0)

हस्ताक्षर सम्पादनकर्ता
विक्रेता, प्रथम पक्षकार

छायाप्रति प्रमाणित
उप पंजीयक, भीण्डर